

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औ.सं. प्रभाग)

एसटीसी/मुख्या/कार्मिक/औ.सं/02005(खंड-II)/2006

30 सितम्बर, 2020

परिपत्र सं. औ.सं./28/2020

विषय: कोविड-19 के संक्रमण के चलते शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को रोस्टर ड्यूटी से छूट।

डीपीई के कार्यालयन जापन सं. डीपीई-जीएम/0037/2014-जीएम(एफटीएस-1867) दिनांक 23.09.2020 के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति की बाबत रोस्टर ड्यूटी में छूट होगी और वे अगले आदेशों तक घर से ही कार्य करेंगे।

2. एसटीसी परिपत्र सं. औ.सं/25/2020 दिनांक 25.08.2020 से आगे, यह भी निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय और शाखाओं में कार्यरत सभी स्टाफ कर्मचारी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और नीचे दिए समयानुसार सभी कार्यदिवसों को कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

पहली शिफ्ट : 9.30 पूर्वाह्न से 5.30 अपराह्न

दूसरी शिफ्ट : 10.00 पूर्वाह्न से 6.00 अपराह्न

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

11/09/2020
(एस.के. मीणा) 3579/2020

संयुक्त महाप्रबंधक(कार्मिक)

ई-मेल द्वारा:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक-गण/मुख्य सर्तकता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- मुख्य वित्त अधिकारी के निजी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष
- सभी शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि:

- उप महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय
- महासचिव, एसटीसी ऑफिसर्स एशोशिएशन
- महासचिव, एसटीसी, कर्मचारी संघ
- महासचिव, एससी/एसटी कर्मचारी एशोशिएशन
- नोटिस पट्ट
- वेबसाइट

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD., NEW DELHI
PERSONNEL DIVISION
(IR Section)

STC/CO/PER/IR/02005(Vol-II)/2006

30th September 2020

CIRCULAR No.IR/28/2020

Sub: Exemption of Employees with disabilities from roster duty due to COVID 19 situation.

In compliance with DPE O.M No. DPE-GM/0037/2014-GM(FTS-1867) dated 23.09.2020, it has been decided that employees with disabilities shall be exempted from roster duty for attending office and continue to work from home till further orders.

2. Further, in continuation to STC Circular No: IR/25/2020 dated 25.08.2020, it has also been decided that all the staff employees in Corporate office and Branches shall attend the office on all working days maintaining the norms of social distancing and follow staggered timings as under:

1st Shift: 9.30 AM to 05.30 PM

2nd Shift: 10.00 AM to 06.00PM

3. This issues with the approval of the Competent Authority.


(S.K. Meena)

Joint General Manager (Pers.)

By E-mail:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Directors/CVO
- PS to CFO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

Copy to

- DGM(F)(A&E), CO
- GS, STC Officers' Association
- GS, STC Employees' Union
- GS, SC/ST Employees' Association
- Notice Board
- Website